

9

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

अलीगढ़-रामघाट मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-105) किमी 0.07 चैनेज (16.433 से 16.680) दांयी पटरी ग्राम अहमदपुरा खाता संख्या 211, 425ख, 426, 436, 437, 438, 439, 440, 162अ, 162ब, 80, 81, 121अ, 122, 31मी0, 70, 73, 74, 77, 78, 121ब, 123, 157, 156, 453, 457, 460, 477 तहसील अतरौली में स्थित वेब डिस्ट्रीज एण्ड ब्रेवरीज, अलीगढ़ के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0545006 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii- In case of public utility projects of the government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन०पी०वी०- प्रभावित वन भूमि (0.0545006) X 9,57,780 = 52,200.00
2. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण - 5 x 52,200 = 2,61,000.00
(जून 2009 से उल्लंघन हेतु- अधिकतम 5 गुना)
3. 12 प्रतिशत Simple Interest= 2,61,000 x 12% = 31,320.00
4. पांच वर्ष की एन०पी०वी० पर एक वर्ष का ब्याज (31320/5) = 6,264.00
5. 14 वर्ष 10 माह की एन०पी०वी० का ब्याज (6264 x 14.83) = 92,895.00
6. पांच गुना एन०पी०वी० एवं 14 वर्ष 10 माह की एन०पी०वी० का ब्याज = 3,53,895.00
(261000 + 92895)

(रु० तीन लाख तिरेपन हजार आठ सौ प्चिचान्ने मात्र)

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।